न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अन्ता जिला बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारी जनक सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :—150 / 19

1 मांगीलाल पुत्र जगन्नाथ

2 सत्यप्रकाश पुत्र मांगीलाल

3 बालमुकन्द पुत्र मांगीलाल जातिगण धाकड़ निवासीगण भौज्याखेड़ी तहसील अन्ता जिला बारां (वादीगण)

बनाम

1 जगन्नाथ पुत्र रामनारायण जाति धाकड़ निवासी भौज्याखेड़ी तहसील अन्ता जिला बारां राज.

2 अनोख बाई पुत्री जगन्नाथ पत्नि गोरिशंकर धाकड जाति निवासी गंगाईचा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान ।

3 बनास बाई पुत्री जगन्नाथ पत्नि जानकीलाल जाति धाकड़ निवासी हरिपुरा मांजी तहसील दिगोद जिला कोटा राज.

4 मन्जू बाई पुत्री जगन्नाथ पत्नि हरिबल्लब जाति धाकड़ निवासी बालदड़ा तहसील अन्ता जिला बारां ।

5 मनीषा पुत्री मांगीलाल जाति धाकड़ निवासी भौज्याखेड़ी तहसील अन्ता।

6 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सा0 अन्ता जिला बारां ।

(प्रतिवादीगण)

उपस्थित वकील :— श्री भगवान प्रसाद दाधीच (वादी)
श्री हरिश शर्मा (प्रतिवादी)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, व 188 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :— 28/06/19

प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर वाद अन्तर्गत धारा अन्तर्गत 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम भौज्याखेड़ी तहसील अन्ता में खाता स. 75 में खं. नं. 13 रकबा 0.36 हे. खं. नं. 265 रकबा 0.07 हे., खं. नं. 538 रकबा 2.05 हे., खं. नं. 1031 / 266 रकबा 0.15 हे., किता 4 रकबा 2.63 हे., भूमि तथा माल लदवाड़ा तहसील अन्ता मे खाता स. 72 में खसरा न. 328 रकबा 0.98 हे., भूमि स्थित है। उक्त आराजियात को इस वादपत्र मे आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त आराजियात प्रतिवादी कम 1 के खाते दर्ज है उक्त भूमि पुश्तैनी है। जिसमें वादिगण एवं प्रतिवादि कम 1 ता 5 का हक अधिकार जन्मतः निहित है। उक्त वर्णित पर वादिगण एवं प्रतिवादी कम 1 काबिज काश्त करते चलें आ रहे है।

पक्षकारों का सजरा निम्न प्रकार है :—

जगन्नाथ

मांगीलाल पुत्र | अनोख बाई पुत्री | बनासबाई पुत्री | मन्जूबाई पुत्री

सत्यप्रकाश पुत्र | बालमुकुन्द पुत्र | मनीषा पुत्री

उक्त वर्णित भमि प्रतिवादी क्रम 1 के नाम खातेदारी दर्ज होने से प्रतिवादी क्रम 1 उक्त
विवादित आराजियात को अन्यत्र रहन, बेचान या खुर्द बुर्द करने का प्रयत्न कर रहा है। जबकि
वादिगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 उक्त विवादित आराजियात पर 1/4–1/4 हिस्से पर काबित
काश्त करते चलें आ रहें है लिए वादीगण अपने हिस्से की भूमि 3/4 भूमि अपने नाम खाते
दर्ज करवाना चाहते है तथा प्रतिवादी क्रम 2 ता 3 वादिगण की बहिन /बुआ है। जो अपनी
अपनी ससुराल में निवास कर रही है तथा अपने अपने हिस्से की भूमि का परित्याग अपने भाई
एवं भतीजे व पिताजी के हक मे मौखिक रूप से कर दिया है। इसलिए उक्त विवादित
आराजियात मे से वादिगण को 1/4–1/4–1/4 हिस्से की भूमि के बतौर सहखातेदार
काश्तकार निम्नानूसार हिस्सेनुसार घोषित किया जावे :–
वादी क्रम 1 मांगीलाल का हिस्सा :– खसरा न. 328 रकबा 0.98 हे माल लदवाड़ा, खसरा न.
13 रकबा 0.36 हे. ग्राम भौज्याखेड़ी। वादी क्रम 2 सत्यप्रकाश पुत्र मांगीलाल का हिस्सा :
खसरा न. 538 रकबा 2.05 हे. भूमि में से हिस्सा 1/2 भूमि ग्राम भौज्याखेड़ी वादी क्रम 3
बालमुकुन्द पुत्र मांगीलाल का हिस्सा : खसरा न. 538 रकबा 2.05 हे. भूमि में से हिस्सा 1/2
भूमि ग्राम भौज्याखेड़ी प्रतिवादि क्रम 1 जगन्नाथ पुत्र रामनारायण का हिस्सा : खसरा न. 265
रकबा 0.07 हे., ख.न. 1031/266 रकबा 0.15 हे. भूमि कुल 0.22 हे. भूमि ग्राम भौज्याखेड़ी।
उक्त विवादित आराजियात प्रतिवादि क्रम 1 के नाम खाते दर्ज होने से वादिगण को
सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में भी परेशानी हो रही है इसलिए वादिगण अपने
हिस्से की भूमि को राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करवा पा सकने के अधिकारी है। वादीगण
खिलाफ प्रतिवादिगण इस इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे की प्रतिवादिगण
वादीगण के हिस्से की भूमि से बेदखल नहीं करें, रहन, बेचान नहीं करें, खुर्द बुर्द नहीं करें,
वादिगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवें, वादिगण की काश्त व्यवस्था में प्रतिवादिगण किसी
प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नही करें, इस प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादिगण
जारी फरमायी जावें। वाद कारण दिनांक 24.05.2019 को प्रतिवादिगण से वादीगण के हिस्से
की भूमि खाते दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादिगण साफ इन्कार हो गये , जिस कारण
वाद बमुकाम भौज्याखेड़ी तहसील अन्ता में उत्पन्न हुआ है। वाद आवश्यक प्रकृति का होने के
कारण श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, बारां को धारा 80 सीपीसी का नोटिस प्रषित किये बगैर
यह वादपत्र माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा 80 (2)सीपीसी के प्रावधान के तहत पेश
किया है। वाद पत्र को सुनने का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। वाद पत्र उचित
न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ
इस आशय की सादिर डिक्री एवं निर्णय पारित फरमाया जावें कि :– वाके ग्राम भौज्याखेड़ी
तहसील अन्ता में खाता स 75 में खं. न. 13 रकबा 0.36 हे., ख. न. 265 रकबा 0.07 हे., खं. नं.

538 रकबा 2.05 हे., खं. नं. 1031/266 रकबा 0.15 हे., किता 4 रकबा 2.63 हे., भूमि तथा माल लदवाड़ा तहसील अन्ता मे खाता स. 72 में खसरा न. 328 रकबा 0.98 हे., भूमि पुश्तैनी होने से वादिगण जन्मतः हक अधिकार निहित होने से वादीगण को बतौर सहखातेदार काश्तकार निम्नानुसार घोषित किया जावें। वादीगण खिलाफ प्रतिवादिगण इस इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि प्रतिवादिगण वादिगण के हिस्से की भूमि से बेदखल नहीं करें रहन, बेचान, नही करें, खुर्द बुर्द नही करें, वादी को शांति पुर्वक काश्त करने देवें, वादीगण की काश्त व्यवस्था में प्रतिवादिगण किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नही करें, इस प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादिगण जारी फरमायी जावें। अन्य न्यायोचित सहायता वादीगण को प्रतिवादिगण से दिलायी जावें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी करवाई गई। प्रतिवादीगण की ओर से श्री हरिश शर्मा द्वारा वकालत नामा के साथ पक्षकारान न्यायालय में उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से आपसी सहमति से लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर सीधा राजीनामा पेश किया राजीनामानुसार **ग्राम भौज्याखेड़ी** तहसील अन्ता में खाता स. 75 में खं. नं. 13 रकबा 0.36 हे., खं. नं. 265 रकबा 0.07 हे., खं. नं. 538 रकबा 2.05 हे., खं. नं. 1031/266 रकबा 0.15 हे., किता 4 रकबा 2.63 हे., भूमि तथा **माल लदवाड़ा** तहसील अन्ता मे खाता स. 72 में खसरा न. 328 रकबा 0.98 हे., भूमि स्थित है। उक्त आराजी पैतृक सम्पत्ति है। जो प्रतिवादी क्रम 1 को अपने पिता से विरासत में प्राप्त हुई है। जिसे वादी कम 1 मांगीलाल पुत्र जगन्नाथ को खातेदारी दर्ज करवाने मे हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है। वादी कम 2 व 3 फोरमल पक्षकार होने से उक्त जमीन में प्रतिवादीगण व वादीगण 2 व 3 को वादी कम 1 के खातेदारी दर्ज करवाने में पूर्ण सहमत है। वादी कम 1 को खातेदार कृषक घोषित करने में प्रतिवादी कम 1 को कोई आपत्ति नही है। शेष प्रतिवादीगण अपना हिस्सा हकतर्क करते है।

अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा व दावा अनुसार डिक्री एवं निर्णय पारित फरमाया जावे। वाके ग्राम भौज्याखेडी खाता स. 75 में खं. नं. 13 रकबा 0.36 हे., खं. नं. 265 रकबा 0.07 हे., खं. नं. 538 रकबा 2.05 हे., खं. नं. 1031/266 रकबा 0.15 हे., किता 4 रकबा 2.63 हे., भूमि तथा माल लदवाड़ा तहसील अन्ता मे खाता स. 72 में खसरा न. 328 रकबा 0.98 हे., भूमि का वादी कम 1 मांगीलाल को खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

राजीनामा प्रस्तुत होने पर पक्षकारान को पढ़कर सुनाया गया। पक्षकारान द्वारा राजीनामा पढकर, सुनकर स्वयं के द्वारा लिखवाया जाना स्वीकार किया। पक्षकारान द्वारा राजीनामा स्वीकार किये जाने पर बाद तस्दीक स्वीकार कर शामिल फाईल किया गया। वादी की पहचान श्री भगवान दाधीच अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण की पहचान श्री हरिश शर्मा अधिवक्ता द्वारा की गई। हमने आद्योपान्त पत्रावली का अवलोकन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का गहनता से अध्ययन किया। राजीनामा अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाता है कि **ग्राम भौज्याखेडी** खाता स. 75 में खं. नं. 13 रकबा 0.36 हे., खं. नं. 265 रकबा 0.07 हे., खं. नं. 538 रकबा 2.05 हे., खं. नं. 1031/266 रकबा 0.15 हे., किता 4 रकबा 2.63 हे., भूमि तथा **ग्राम लदवाड़ा** तहसील अन्ता मे खाता स. 72 में खसरा न. 328 रकबा 0.98 हे., भूमि का वादी कम 1 एवं प्रतिवादी क्रम 1 को बतौर सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा अनुसार डिक्री जारी हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार

अन्ता को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में वर्णित भूमि पर समस्त प्रकार के भार/ऋण (रहन) यदि कोई होतो यथावत दर्ज किया जावे एवं आवश्यक हो तो नियमानुसार हकतर्क स्टाम्प डयूटी जमा करवाई जाकर निर्णय अनुसार पालना कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे। प्रकरण फैसल शुमार कर नम्बर से कम कर दाखिल दफतर हो ।

निर्णय हमारे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनाक 28/06/19 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अन्ता जिला बारां (राज0)

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(औ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अन्ता जिला बारा बइजलास
पीठासीन अधिकारी श्री जनक सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–150 / 19

1 मांगीलाल पुत्र जगन्नाथ
2 सत्यप्रकाश पुत्र मांगीलाल
3 बालमुकन्द पुत्र मांगीलाल जातिगण धाकड़ निवासीगण भौज्याखेड़ी तहसील अन्ता जिला बारां
(वादीगण)

बनाम

1 जगन्नाथ पुत्र रामनारायण जाति धाकड़ निवासी भौज्याखेड़ी तहसील अन्ता जिला बारां राज.
2 अनोख बाई पुत्री जगन्नाथ पत्नि गोरिशंकर धाकड जाति निवासी गंगाईचा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान ।
3 बनास बाई पुत्री जगन्नाथ पत्नि जानकीलाल जाति धाकड़ निवासी हरिपुरा मांजी तहसील दिगोद जिला कोटा राज.
4 मन्जू बाई पुत्री जगन्नाथ पत्नि हरिबल्लब जाति धाकड़ निवासी बालदड़ा तहसील अन्ता जिला बारां
5 मनीषा पुत्री मांगीलाल जाति धाकड़ निवासी भौज्याखेड़ी तहसील अन्ता।
6 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सा0 अन्ता जिला बारां ।
(प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, व 188 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :– 28/06/19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसा कतई रूबरू **श्री भगवान प्रसाद दाधीच** एडवाकेट हाजरी मिनजानिब मुददई रूबरू **श्री हरिश शर्मा** पेश हो कर हुक्म दिया जाता है कि **ग्राम भौज्याखेडी** खाता स. 75 में खं. नं. 13 रकबा 0.36 हे., खं. नं. 265 रकबा 0.07 हे., खं. नं. 538 रकबा 2.05 हे., खं. नं. 1031 / 266 रकबा 0.15 हे., किता 4 रकबा 2.63 हे., भूमि तथा **ग्राम लदवाड़ा** तहसील अन्ता मे खाता स. 72 में खसरा न. 328 रकबा 0.98 हे., भूमि का वादी कम 1 एवं प्रतिवादी क्रम 1 को निम्नानुसार बतौर सह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा अनुसार डिक्री जारी हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार अन्ता को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में वर्णित भूमि पर समस्त प्रकार के भार / ऋण (रहन) यदि कोई होतो यथावत दर्ज किया जावे एवं आवश्यक हो तो नियमानुसार हकतर्क स्टाम्प डयूटी जमा करवाई जाकर निर्णय अनुसार पालना कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे।

उपखण्ड अधिकारी
अन्ता